भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,
मुरादाबाद

साक्ष्य विधि के आधार

- अनुश्रव्य साक्ष्य का अपवर्जन
- सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जायगा
- साक्ष्य केवल विवाधक तथ्यो पर दिया जायेगा।
- साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है

धारा 1. प्रर्वतन

- जम्मू कश्मीर राज्य को छोडकर सम्पूर्ण भारत में
- प्रर्वतन तिथि-1-9-1872

कहाँ लागू होगा:- सभी न्यायालयों, सेना, न्यायलयों के समक्ष समस्त कार्यवाही पर

कहाँ लागू नही होगा:-

- आर्मी एक्ट
- नेवल डिसिप्लीन एक्ट
- इण्डियन नेवी एक्ट
- ऐयर फोर्स एक्ट

के अन्तर्गत संयोजित सेना न्यायलयों पर तथा शपथ पत्रों तथा मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाहीयों पर (लागू नही होगा)

धारा 3- साक्ष्य के प्रकार

- मौखिक साक्ष्य
- दस्तावेजी साक्ष्य (इक्लेट्रानिक अभिलेख)

तथ्यः-

- भौतिक तथ्य – इन्द्रियो द्वारा वोधगम्य
- मानसिक तथ्य – व्यक्ति द्वारा अनूभुत कोई मानसिक दशा तथा सदाशय, दुराशय, उपेक्षा पूर्वक आदि

दस्तावेजः- कोई विषय किसी पदार्थ (Substance) पर शब्दो, अकों अथवा संकेतो द्वारा वर्णित हो तथा उसके बनाने का कोई उद्देश्य हो।

उदाहरणार्थः- लेखन (writing) मुद्रण (Printing)शिला मुद्रित (Lithopress), व्यंग्यचित्र (carricature)

विवाधक तथ्य (Facts in issue) -

- पक्षकारों के बीच विवाद के बिन्दु
- एक पक्ष द्वारा प्राख्यान तथा विपक्ष द्वारा प्रत्याखान
- सिविल मामलो में वाद विन्दु
- अपराधिक मामलों में आरोप

न्यायालय –

- न्यायाधीश
- मजिस्ट्रेट
- साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति परन्तु मध्यस्थ नही

सावित

- न्यायालय द्वारा किसी तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास करना
  अथवा
- कोई प्रज्ञावान व्यक्ति उस तथ्य को सम्भाव्य माने

<u>नासावित</u>

- न्यायालय द्वारा किसी तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास नही करना अथवा
- कोई प्रज्ञावान व्यक्ति उस तथ्य को सम्भाव्य न माने

<u>सावित नही हुआ –</u> तथ्य जो

- न सावित हुआ हो
- न ना सावित हुआ हो

धारा 6

एक ही संव्यवहार के भाग -रेस जेस्टे (Doctrine of Res gestae)

- एक ही संव्यवहार का निर्माण करने वाले तथ्य
- चाहे वे एक स्थान अथवा अनेक स्थान अथवा समयों पर गठित हुए हो।

धारा 07

वे तथ्य जो विवादक तथ्य के

- प्रसंग (अवसर, मौका) (Opportunity) हेतुक (Cause), कारण- (P.M Report), परिणाम (Result) होंगे, सुसंगत होगें

धारा 08

वे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य के

- हेतु (Motive)
- तैयारी (Preparation) अपराध होने से पूर्व की
- पूर्व तथा पश्चात का आचरण, होंगे, सुसंगत होंगे।
- घटना के पश्चात पीड़ित का रिपोर्ट कराना (आचरण)
- अभियोजन के लिए हेतु सिद्ध करना सदैव आवश्यक नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में आवश्यक हो जाता है।

धारा 09

1. स्पष्टीकरण
2. पुर:स्थापन (Introduction)
3. अनन्यता (Identity)
4. समय
5. स्थान
6. पक्षकारी के सम्बन्ध स्थापित करते है सुसंगत होंगे

A. नक्शा नजरी- धरना के स्पष्टीकरण के लिये

B. शिनाख्त परेड- पहचान

धारा 10- षड्यन्त्र

आवश्यक तत्व

- दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा षडयन्त्र करना।
- अनुयोज्य दोष के लिये समान आशय के अनुक्रम में कोई कार्य करना
- **प्रयोजन** – षडयन्त्र का अस्तित्व तथा पक्षकार सिद्ध करने के लिए

धारा 11

अन्यत्र होने का अभिवाक (Plea of Alibi)

आवश्यक तत्व

- विवाधक तथ्य सुसगंत तथ्य से असंगत
- सुसंगत तथ्यो के अस्तित्व को अधिसमभाव्य अथवा
- अनाधिसमभाव्य वनाने वाले तथ्य सुसंगत होगें।

धारा 17- स्वीकृति

परिभाषा-

- मौखिक
- दस्तावेजी (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख)
- विवाधक तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करना
- अपराधिक मामलों में अपराध के अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकार्योक्ति
- संस्वीकृति कहलायेगी।
- न्यायिक संस्वीकृति (Judicial Cofession)- मजिस्ट्रेट के समक्ष
- न्यायोत्तर (Extra Judicial Cofession)- मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष
- संस्वीकृति स्वीकृति की ही उपजाति है।

धारा 24

संस्वीकृतियो का सावित न किया जाना

- उत्प्रेरणा (फुसलाना)
- धमकी
- वचन द्वारा की गयी संस्वीकृति
- प्राधिकारवान व्यक्ति (Person in Authority) के समक्ष
- ऐहिक लाभ

धारा 26- पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति

- अभियुक्त के विरुद्ध सावित नही की जा सकेगी।
- मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई मान्य होगी।

धारा 27-पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति कब मान्य होगी

- अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में हो
- अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति से किसी तथ्य की जानकारी हुई हो।
- उस तथ्य को सावित किया जा सकेगा।
- पुलिस अभिरक्षा रिमान्ड

धारा 29- संस्वीकृति ग्राहय होगी यदि

- गुप्त रखने के वचन (Promise of Secrecy)
- अभियुक्त से की गयी प्रवंचना (Misconception)
- नशे में
- अनावश्यक प्रश्नो के उत्तर में
- चेतावनी के विना प्राप्त की गई

धारा 30

सहअभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति कब ग्राह्य होगी

- संयुक्त विचारण
- अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति साबित होनी चाहिए
- न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी संस्वीकृति को विचार में लेना।

धारा-32

उन व्यक्तियों के लिखित अथवा मौखिक कथन जो

- मर गया है,
- मिल नहीं सकता,
- शारीरिक अथवा मानसिक रूप से साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है
- जिनको साक्षी के रूप में बुलाया जाना न्यायालय ,धन तथा समय की बरबादी समझता है।

32(1) मृत्यु कालिक कथन(dying Declaration)

मृत्युकालिक कथन निम्न दशाओं में सुसंगत होगा

- उसकी मृत्यु के कारण को दर्शित करता है
- उन परिस्थितियों का वर्णन करता हो जिनके अन्तर्गत उसकी मृत्यु हुई।
- केवल उन्ही कार्यवाहियों में सुसंगत होगा जहाँ उसकी मृत्यु प्रश्नगत हो
- उस स्थिति में भी सुसंगत होगा यदि कथनकर्ता मृत्यु की प्रत्याशंका (आशंका) में था अथवा नहीं।
- मुकदमे की प्रकृति दीवानी अथवा अपराधिक भी हो सकती है।

- मुकदमे की प्रकृति दीवानी अथवा अपराधिक भी हो सकती है।
- संकेतों में किये गये कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत होंगे।(अब्दुल्ला बनाम सम्राट 1839)
- यदि कथन ऐसी स्थिति में किया गया है जब कथनकर्ता मृत्यु की प्रत्याशंका में नहीं था उस स्थिति में भी कथन सुसंगत माना गया (पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट 1939)
- यदि मृत्यु कालिक कथन सत्य प्रतीत होता है तो अन्य साक्ष्य से उसकी सम्पुष्टि आवश्यक नहीं होगी

धारा 45

विशेषज्ञों की राय (Opinion of experts)

- विदेशी विधि (Foreign law)
- कला (Art)
- विज्ञान(Science)
- अंगुली चिन्हों (Finger prints) की अनन्यता
- हस्तलेख(Hand writing) की अनन्यता
- ऐसे व्यक्ति ही विशेषज्ञ (Expert) कहे जायेंगे। कुशल व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाये जायेंगे।
- विशेषज्ञ यथा डॉक्टर, हस्तलेख विशेषज्ञ, रक्त विज्ञानी, विधि विज्ञानी , आग्नेयास्त्र विशेषज्ञ

धारा 45A

इलेक्ट्रोनिक अभिलेख के बारे में राय

- कम्प्यूटर में भन्डारित सम्प्रेषित जो इलैक्ट्रानिक अथवा अंकीय Digits में रखी गयी, परीक्षक की राय सुसंगत होगी।

धारा 47

हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है

निम्न व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी -

- जिसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो
- जिसने उस व्यक्ति द्वारा लिखे गये दस्तावेज स्वंय अथवा उसके उत्तर में प्राप्त किये हों।
- जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में उसके द्वारा लिखे गये दस्तावेज प्राप्त किये हैं अथवा उसे दिये हैं।

धारा 47 A

इलैक्ट्रोनिक हस्ताक्षर के वारे में राय

- प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय सुसंगत होगी।

धारा 48

अधिकार अथवा रूढ़ि के सम्बन्ध में राय

- जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी

धारा 51

राय के आधार

- यदि विशेषज्ञ की राय सुसंगत है तो वे आधार जिन पर राय धारित है सुसंगत है।

धारा 53A

शील या पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य कतिपय मामलों में सुसंगत न होना

- कतिपय लैंगिक अपराधों में पीड़िता की शील के सम्बन्ध में उसका पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य सुसंगत न होगा।
- लैंगिक अपराधों में पीड़िता का पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य उसकी सम्मति की गुणवत्ता का आधार नहीं होगा।

धारा 54

उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत होना

- अभियुक्त के बुरे शील का साक्ष्य विसंगत होगा
- यदि अभियुक्त अच्छे शील का साक्ष्य देता है तो
- ऐसी दशा में उसके बुरे शील का साक्ष्य सुसंगत होगा
- जहाँ किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वंय विवाद्यक तथ्य है वहाँ उन मामलों में यह धारा लागू नहीं होगी।
- पूर्व दोषसिद्ध व बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है

धारा 59

मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना

- दस्तावेजों या इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के अतिरिक्त सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किये जा सकेंगे।

धारा 60

मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए

- मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में प्रत्यक्ष ही होगा।
- अनुश्रव्य साक्ष्य (Hearsay Evidence) कतिपय अपराधों को छोड़कर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा यथा (Resgestae) संस्वीकृति , मृत्युकालिक कथन
- यदि मौखिक साक्ष्य किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो उसी साक्षी का होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा है (चश्मदीद गवाह)
- यदि सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है वह ऐसे साक्षी का होगा जो कहता है कि उसने (अपने कानों से) सुना है
- यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में जिसका बोध किसी अन्य रीति या इन्द्रियों द्वारा हो सकता था तो वह ऐसे साक्षी का होगा जिसका उसे बोध है।
- यदि वह राय के बारे में है तो उसी व्यक्ति का साक्ष्य होगा जो उस पर राय देता है।

धारा 61

दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत

- प्राथमिक साक्ष्य द्वारा
- द्वितीयक साक्ष्य द्वारा

धारा 62

प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence)

- मूल दस्तावेज न्यायालय मे प्रस्तुत करना

स्पष्टीकरण 1- यदि मूल कई प्रतियों में निष्पादित है तो प्रत्येक मूल प्रति दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य होगा

स्पष्टीकरण 2- जहाँ अनेक दस्तावेज मशीनी प्रक्रिया एक रूपात्मक तरीके से तैयार की गयी है वहाँ हर शेष सबका प्राथमिक साक्ष्य होगा(मुद्रण,फोटो चित्रण आदि)

- परन्तु जहाँ वे मूल दस्तावेज की प्रतियाँ हैं वहाँ मूल का प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगी।

धारा 63- द्वितीयक साक्ष्य

- प्रमाणित प्रतियाँ(certified copies)
- मूल से यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनायी गयी प्रतियाँ तथा प्रतियाँ से तुलना की गयी प्रतिलिपियाँ
- मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियाँ
- वे दस्तावेज जिन्हे पक्षकारों ने हस्ताक्षरित नहीं किया है
- जिस व्यक्ति ने मूल दस्तावेज को पढ़ा है उसके द्वारा दिया गया मौखिक वृत्तान्त

धारा 65A

इलैक्ट्रानिक अभिलेखों (Electronic records) की अन्तर्वस्तुओ को साबित किया जाना

- धारा 65B के प्रावधानों के अनुसार सिद्ध की जा सकती हैं।

धारा 65B- (1)

इलैक्ट्रोनिक अभिलेखो का दस्तावेज माना जाना

- इलैक्ट्रानिक रिकार्ड अर्थात् कम्प्यूटर में भरी गई सूचना को जब किसी कागज पर छाप दिया जाता है।
- किसी प्रकाशीय या चुम्बकीय माध्यम (CD, DVD, Pen drive) में भण्डारित (store) अभिलिखित कहा जायेगा
- दस्तावेज माना जायेगा और उस सूचना तथा किसी कार्यवाही में साक्ष्य में ग्राह्य होगा।
- मूल अभिलेख (computer) को पेश करना आवश्यक नहीं होगा।

धारा 67

दस्तावेजों का निष्पादन

- यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा लिखित अथवा हस्ताक्षरित किया कहा जाता है तो यह साबित करना होगा कि वह दस्तावेज उसी व्यक्ति ने निष्पादित किया है।

धारा 67A

इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर का सबूत

- यदि कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर बना है तो यह सिद्ध करना होगा कि वह इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर उसी व्यक्ति का है जिसके बारे में कहा गया है कि वह उसी का है।

धारा 73

हस्ताक्षर या लेख की तुलना

- साबित हस्ताक्षर या हस्तलेख से विवादस्पद हस्ताक्षर या हस्तलेख की तुलना करना
- न्यायालय उस व्यक्ति से अपने सामने कोई शब्द ,अंक अथवा संकेत लिखकर विवादग्रस्त लेख भी उक्त नमूने से तुलना कर सकता है।

धारा 73A

अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत

- न्यायालय में अंकीय हस्ताक्षर निम्न प्रकार से सत्यापित किया जा सकते हैं।
- न्यायालय जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं अथवा नियन्त्रण (controller) अथवा प्रमाणकर्ता अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पेश करने का निदेश दे सकेगा,
- अन्य व्यक्तियों को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध सार्वजनिक सूचक शब्द को प्रयोग करने और उस व्यक्ति द्वारा किया गया तात्पर्यित अंकीय हस्ताक्षर को सत्यापित करने का निर्देश दे सकेगा।

धारा 74
लोक दस्तावेजें

- यह लोक हित (public interest) से सम्बन्धित होते हैं
- यह लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में तैयार किया जाता है।
- इसे विशेष अभिरक्षा में रखा जाता है
- इसकी प्रमाणित प्रति मूल के स्थान पर साक्ष्य में ग्राह्य होती हैं ।

धारा 75

प्राइवेट दस्तावेज

- अन्य सभी दस्तावेज प्राईवेट हैं जो लोक दस्तावेज नहीं हैं

धारा 76

लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ

- प्रत्येक लोक ऑफिसर जिसका अभिरक्षा में कोई दस्तावेज है । लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति जारी करेगा ऐसी प्रति पर उस अधिकारी का हस्ताक्षर ,मुहर व दिनाँक अंकित होगा

धारा 101

सबूत का भार

- सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में दावा करता है या
- उस व्यक्ति पर होगा जो उसके आधार पर निर्णय चाहता है
- अपराधिक मामलों में सबूत का भार अभियोजन पर होता है

धारा 102

सबूत का भार किस पर होता है

- जो असफल हो जायेगा यदि दोनों और से कोई साक्ष्य न दिया जाये
- कार्यवाही के दौरान कभी वादी एवं कभी प्रतिवादी पर बदलता रहता है

धारा 103

विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार

- उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उस विशिष्ट तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास करे।
- Plea of ALIBI अन्यत्र होने के अभिवाक को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा।

धारा 104

साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए तथ्य को साबित किया जाना

- तथ्यो को ग्राह्य वनाने के लिए आवश्यक तथ्यो को साबित करने का भार
- उस पक्षकार पर होता है ,जो उस अन्य तथ्य का साक्ष्य देना चाहता है ।
- किसी व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन साबित करने से पहले उसकी मृत्यु साबित करना होगा
- किसी व्यक्ति द्वारा द्वितीयक साक्ष्य देने से पूर्व उसके मूल का खोया जाना साबित करना होगा ।

धारा105

साधारण अपवादों को साबित करने का भार

- साधारण अपवादों (धारा 76-106 भारतीय दण्ड संहिता) साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा

धारा 106

विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार

- उस व्यक्ति पर है जिसके ज्ञान में वह विशेष तथ्य है

धारा 107

30 वर्ष के भीतर जीवित व्यक्ति की मृत्यु सावित करने का भार

- तीस वर्ष के भीतर जीवित व्यक्ति के बारे में उसके जीवित रहने की उपधारणा की जायेगी
- यदि कोई व्यक्ति कहता है कि ऐसा व्यक्ति मर गया है तो उसकी मृत्यु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो कहता है कि वह मर गया है

धारा- 108

07 वर्ष तक गायब रहने वाले व्यक्ति के विषय में उपधारणा

- मृत्यु की उपधारणा सात वर्ष तक लापता व्यक्ति की मृत्यु की उपधारणा की जायेगी
- कोई व्यक्ति कथन करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवित है तब उसके जीवित साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा जो कहता है कि वह जीवित है

धारा 109

भागीदारों, भू-स्वामी और अभिधारी ,मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार

- भागीदारों, भू-स्वामी और अभिधारी ,मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो कथन करता है कि वे परस्पर उन सम्बन्धों में व्यवस्थित नहीं है
- उसके अभाव में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वे परस्पर उन सम्बन्धों में व्यवस्थित है।

धारा 110

स्वामित्त के बारे में सबूत का भार

- स्वामित्व
- कब्जा होना दर्शित है।
- यह उपधारणा की जायेगी कि वह व्यक्ति उस चीज का स्वामी है
- यदि कोई कहता है कि वह व्यक्ति उस चीज का स्वामी नहीं है तो उसे यह बात सिद्ध करनी होगी
- परन्तु कब्जा अवैध नही होना चाहिए

धारा 113-क

आत्महत्या के बारे में उपधारणा [Presumption]-

- किसी विवाहिता स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या उसके पति या पति के किसी सम्बन्धी के दुष्प्रेरण (Abetment) के कारण हुई थी ?

सिद्ध की गई बातें-

- आत्महत्या विवाह के सात वर्ष के अन्दर की गई,
- मृतका के पति या पति के सम्बन्धी (नातेदार) ने मृतका के साथ क्रूरता की थी।

उपधारणा (Presumption)- मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा :[The court may presume]

- आत्महत्या पति या उसके नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी।

धारा 113-ख

दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा [Presumption]

- यदि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु [Dowry death] की है?

सिद्ध की गई बातें-

- मृत्यु के कुछ दिन पूर्व उस व्यक्ति ने उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था (Cruelty or Harassment)
- उक्त क्रूरता या तंग दहेज की मांग के लिए या उसके सम्बन्ध में की गई (For, or in connection with, any demand for dowry)

उपधारणा- न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण- दहेज मृत्यु का अर्थ वही है जो IPC की धारा 304 ख में है - धारा 304ख भा0द0वि0 के आवश्यक तत्व (संक्षेप में)

- महिला की असामान्य मृत्यु (Unnatural Death)
- विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु,
- दहेज की मांग की गई थी। और उसके लिए मृत्यु से कुछ पूर्व महिला से क्रूरता या तंग किया गया था।
- धारा 133ख के प्राविधान आज्ञापक (Mandatory) है।
- इस उपधारणा के पश्चात सबूत का भार अभियुक्त पर आ जाता है।

धारा 114

न्यायालय किन्ही तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा

- न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा,
- जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में,
- प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राईवेट कारबार में सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए न्यायालय सम्भाव्य समझता है।

धारा 114-क

बलात्कार के कुछ मामलों में उपधारणा

- भा0द0वि0 की धारा 376 की उपधारा(2) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ड़), (च), (छ), (ज), (झ) आदि के अधीन बलात्संग के अभियोजन में,
- जहाँ अभियुक्त द्वारा मैथुन (Sexual Intercourse) करना सिद्ध हो जाता है, और
- प्रश्न यह है कि क्या वह (मैथुन) उस स्त्री (पीड़िता) की सम्मति (Consent) के बिना किया गया है,
- वह स्त्री (पीड़िता) न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कथन करती है कि उसने सम्मति (सहमति) नहीं दी थी।

उपधारणा- न्यायालय यह उपधारणा करेगा की उस स्त्री ने सम्मति नहीं दी थी।

- पीड़िता की सहमति थी, यह सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है।

धारा 118

कौन व्यक्ति साक्ष्य देने हेतु सक्षम है

- सामान्य नियमः- सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम हैं

साक्षी के असमर्थता के कारण

- कम उम्र के कारण
- अत्यधिक आयु (बुढ़ापा) के कारण
- मानसिक या शारीरिक बीमारी के कारण
- पागलपन याददास्त खत्म होने लकवा मार गया आदि
- इसी प्रकार का अन्य कोई कारण

सक्षमता का टेस्ट-

- न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों को समझ सकता है ।
- उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर दे सकता है।

धारा 119

मौखिक रूप से साक्ष्य देने में असमर्थ साक्षी

- साक्षी बोलने में असमर्थ है,
- वह अपना साक्ष्य अन्य प्रकार से दे सकता है –जैसे कि लिखकर या संकेतों द्वारा जिससे उसकी बात समझी जा सके,
- लेख या संकेत खुले न्यायालय में लिखना या करना होगा
- यह साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जायेगा

परन्तु-

- यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचना देने में असमर्थ है,
- न्यायालय द्विभाषिये या विशेष प्रबोधक की सहायता लेकर गवाह का कथन अभिलिखित करायेगा,
- ऐसे कथन की वीडियों फिल्म तैयार की जायेगी

धारा 122

वैवाहिक काल की सूचना

- वैवाहिक काल में पति-पत्नी द्वारा एक-दूसरे को जो सूचनाएं दी गई हैं, उन सूचनाओं को प्रकट करने के लिए,
- पति या पत्नी को विवश नहीं किया जाएगा,
- और न ही उन्हें अनुमति दी जाएगी।

अपवाद- निम्न परिस्थितियों में प्रकट की जा सकती हैः-

- सूचना देने वाले व्यक्ति या उसके हित प्रतिनिधि की सम्मति है,
- उन वादों में जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हों,
- उन कार्यवाहियों में, जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किये गये अपराध के लिए अभियोजित है।

धारा 123

कोई भी व्यक्ति ऐसी साक्ष्य देने के लिए विवश अथवा अनुज्ञात (Permitted) नहीं किया जाएगा जो

- सरकारी (शासकीय) अभिलेखों से प्राप्त की गई है,
- वे अभिलेख सरकारी कार्य-कलापों से सम्बन्धित हैं,
- वे अभिलेख अप्रकाशित (गुप्त) हैं।

साक्ष्य के अन्तर्गत मौखिक व दस्तावेजी दोनों हैं।

परन्तु-

- विभाग के प्रमुख ऑफिसर (विभागाध्यक्ष) की स्वीकृति से ऐसा साक्ष्य दिया जा सकता है।

धारा 124

शासकीय संसूचनाऐं

- लोक ऑफिसर को शासकीय विश्वास में प्राप्त संसूचनाएं, उस लोक ऑफिसर को उक्त संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश/बाध्य नहीं किया जायेगा।
- यदि वह लोक ऑफिसर समझता है कि उस प्रकटन से लोक हित की हानि होगी।

धारा 125

वृत्तिक संसूचनाऐं

- कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर यह बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किये जाने के बारे में उसे जानकारी कहाँ से (किससे) मिली।
- कोई राजस्व अधिकारी यह बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ से (किस से) मिली।

धारा 126

सामान्य नियम

- बैरिस्टर, अटार्नी, प्लीडर या वकील को उस हैसियत में,
- उसके पक्षकार (Client) द्वारा या उसकी ओर से दी गई संसूचना को (Communication) या दिए गये दस्तावेज की अन्तर्वस्तु या दशा को, या
- किसी सलाह को जो उस दौरान उसने अपने पक्षकार को दी है,
- [उक्त संसूचना, अन्तर्वस्तु, दशा या सलाह को] प्रकट करने के लिए उक्त बैरिस्टर, अटार्नी, प्लीडर या वकील को अनुमति नहीं दी जाएगी।

अपवादः- उक्त को प्रकट किया जा सकता हैः

पक्षकार की लिखित (अभिव्यक्त) सम्मति से, जब सूचना किसी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने से सम्बन्धित है,

जब कोई तथ्य उक्त बैरिस्टर, आदि ने सम्प्रेक्षित किया जिससे दर्शित हो कि उसके नियोजन के प्रारम्भ के पश्चात कोई अपराध या कपट किया गया है।

स्पष्टीकरणः- इस धारा की बाध्यता (Obligation) नियोजन के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी बनी रहती है।

धारा 133

सह-अपराधी का परिसाक्ष्य (Testimony of Accomplice)

- सह-अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा,

कोई दोष सिद्धि केवल इस लिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह-अपराधी के **असम्पुष्ट** परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

धारा 134

साक्षियों की संख्या

- किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।

धारा 137

- मुख्य परीक्षा (Examination-in-Chief)
- प्रति परीक्षा (Cross Examination)
- पुनः परीक्षा (Re-Examination)

धारा 138

परीक्षाओ का क्रम

- मुख्य परीक्षा,
- तत्पश्चात प्रतिपरीक्षा
- तत्पश्चात पुनः परीक्षा (यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे)
- मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा सुसंगत तथ्यों से सम्बन्धित होगी, परन्तु,
- प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है।

धारा 139

दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का साक्षी न होना

- कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया व्यक्ति साक्षी नही होगा
- जब तक उसे साक्षी के रुप में तलब न किया जाये।

धारा 141

सूचक प्रश्न (Leading Question)

- वह प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है।

धारा 145
पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा

भाग-A

- किसी साक्षी के उन पूर्वतन (Precious) कथनों के बारे में,
- जो उसने लिखित रूप में किये हैं या जो लेख-बद्ध किये गये हैं, और प्रश्नगत बातों से सुसंगत हैं,
- ऐसे लेख, उसे दिखाये बिना, या साबित किये बिना,
- उस साक्षी से उनके बारे में प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।

परन्तु

भाग-B

- यदि उस लेख द्वारा उसका खण्डन करने का आशय है,
- तो उस लेख को साबित किये जा सकने के पूर्व,
- साक्षी का ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खण्डन करने के प्रयोजन से किया जाना है।

धारा 146

प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न

प्रतिपरीक्षा में निम्न प्रश्न किये जा सकेंगे-

1. उसकी सत्यवादिता परखने के लिए, या
2. यह पता लगाने के लिए कि साक्षी कौंन है और जीवन में उसकी क्या हैसियत है, या
3. उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वस्नीयता को धक्का पहुंचाने वाले प्रश्न।

परन्तुः-

- बलात्कार करने या प्रयत्न करने के अपराध के अभियोजन में अभियोक्त्री से उसके सामान्य नैतिक चरित्र के सम्बन्ध में [as to her general immoral character] प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होगी।

धारा 154
पक्षद्रोही साक्षी

पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न-

- न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा में किये जा सकते हैं।
- (2005 का संशोधन) इस धारा की कोई भी बात उप-धारा(1) के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग पर निर्भर करने के हक से वंचित नहीं करेगा।
- जब गवाह उसे बुलाने वाले पक्ष के खिलाफ गवाही देता है तो वह "पक्षद्रोही साक्षी" कहलाता है। वह अपने पूर्वकथन से हट रहा है [वह न्यायालय को सच बताने का इच्छुक नहीं है]

धारा 155

साक्षी की विश्वस्नीयता पर अधिक्षेप (Impeaching Credit of a witness)

- अविश्वनीयता का अपात्र सिद्ध करना
- रिश्वत लेना अथवा रिश्वत के प्रस्ताव को स्वीकृत सिद्ध करना
- अन्य कोई भ्रष्ट उत्प्रेरण
- पिछले असंगत कथनो से खण्डन करना

धारा 156

सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की सम्पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे

- जब कोई साक्षी किसी सुसंगत तथ्य की साक्ष्य देता है,
- और उसकी सम्पुष्टि करना आशयित हो,

धारा 157
पूर्वतन कथनो की संपुष्टी

- (किसी तथ्य के बारे में) किसी साक्षी के परिसाक्ष्य (Testimony) की सम्पुष्टि करने के लिये,
- उस साक्षी द्वारा उसी तथ्य से सम्बन्धित किया हुआ कोई पूर्व कथन साबित किया जा सकेगा (may be proved)
- उक्त कथन उसी समय पर या उसके लगभग किया गया हो जब वह तथ्य घटित हुआ था
- या उक्त कथन विवेचना अधिकारी को किया गया था,
- जब किसी साक्षी के कथन की सम्पुष्टि आवश्यक हो तो उस विषय पर किये गये उसके पहले कथन, सम्पुष्टि के लिये प्रयोग में लाये जा सकते हैं ।

धारा 159

स्मृति ताजा करना (Refreshing Memory)

- साक्षी परीक्षा के अधीन है
- वह ऐसे किसी लेख को देख कर
- जो लेख (लिखित) स्वयं उसने प्रश्नगत संव्यवहार(Transaction) के समय बनाया हो, या
- इतने शीघ्र पश्चात (soon after) बनाया हो जो उसकी स्मृति में ताजा हो
- साक्षी उपर्युक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख (Refer) सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति ने तैयार किया,
- और इस साक्षी द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढ़ा गया था, और वह उस समय उसे सही होना जानता था।
- जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताजी कर सकता है, तब वह उसकी प्रतिलिपि से भी स्मृति ताजी कर सकता है।
- इसके लिए न्यायालय की अनुज्ञा होना चाहिए।
- विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देखकर ताजी कर सकेगा।

धारा 160

धारा-159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य

- कोई साक्षी धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में वर्णित तथ्यों का भी परिसाक्ष्य दे सकेगा,
- भले ही उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो [अर्थात वह उन बातों भूल गया है]
- यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक-ठीक अभिलिखित थे।

धारा 161

स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार

- पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबन्धों के अधीन देखा गया, कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे।
- ऐसा पक्षकार (अर्थात् प्रतिपक्षी) यदि चाहे तो उस साक्षी से उस लेख के बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।

धारा 162

दस्तावेजों का पेश किया जाना

- किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित साक्षी यदि वह उसके कब्जे में या शक्त्यधीन हो, उसे न्यायालय में लायेगा, Shall bring it to count.
- भले ही उसे पेश करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में कोई आक्षेप (Objection) हो,
- ऐसे किसी आक्षेप की विधिमान्यता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जायेगी।
- न्यायालय यदि ठीक समझे तो उस दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा [यदि वह राज्य की बातों से सम्बन्धित न हो]
- या न्यायालय स्वयं को उस [दस्तावेज] की ग्राह्यता अवधारित [determine] करने के योग्य बनाने के लिये अन्य साक्ष्य लेगा (विशेषरुप से राज्य की बातों से सम्बन्धित दस्तावेज के मामले में)

धारा 163

मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना

- जब कोई पक्षकार दूसरे (विरोधी) पक्षकार को नोटिस (सूचना) देकर किसी दस्तावेज को मांगता है और ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है,
- और उस पक्षकार द्वारा, जिसने पेश करने की मांग की थी, निरीक्षित हो जाती है,
- तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है,
- तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध होगा।

धारा 164

पक्षकार द्वारा दस्तावेज पेश करने से इन्कार करना

- जब कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है,
- जिसे पेश करने की उसे सूचना (Notice) मिल चुकी है,
- तब वह तत्पश्चात उस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा,
- सिवाय दूसरे पक्षकार की सम्मत्ति के या न्यायालय के आदेश के।

धारा 165- न्यायाधीश

- सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका सबूत अभिप्राप्त करने के लिए,
- किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी व पक्षकारों से,
- सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में,
- कोई भी प्रश्न जो वह चाहे पूछ सकेगा तथा किसी भी दस्तावेज या चीज (वस्तु) को पेश करने का आदेश दे सकेगा,
- तो पक्षकार, या उनके अभिकर्ता किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई आक्षेप (Objection) नहीं कर सकेगा,
- और न ही ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।